न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–150/2023
GCMS NO:- 2023/273

दायर दिनांकः 03.07.2023
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

प्रभूलाल आ0 हरदेव जाति मीणा नि0 बालापुरा तहसील नैनवॉं।

– प्रार्थी

बनाम

रामदेव आ0 सोदान जाति मीणा नि0 बालापुरा तहसील नैनवॉं वगै0। (कुल 03)

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामबाबू शर्मा, दशरथ सिंह।
अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सीताराम नागर।

निर्णय दिनांक 17.06.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 687/1823 ग्राम सीसोला मे स्थित है जिस पर पहुंचने के लिए प्रार्थी सरकारी गै0मु0 रास्ता की भूमि खसरा नम्बर 356, 355 एवं अप्रार्थी संख्या 2 के खाते की भूमि खसरा नम्बर 588/356 की मेड के दक्षिणी ओर की ग्राम बालापुरा की मेड पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर होते हुए अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 687/1823 पर पहुंचता है जो 20 फीट चौडा बना हुआ है जिसे परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है तथा उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है।

यह कि खसरा नम्बर 355, 356 गै0मु0 रास्ता की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 ने अक्टूबर सन 2022 मे अपनी ताकत के बल पर जबरन अतिक्रमण करते हुए उक्त भूमि की हकाई जुताई करके उसमे फसल की बुआई कर दी जिसके कारण प्रार्थी की भूमि पर काश्तकारी गतिविधियां करने व कृषि उपकरणों को लाने ले जाने का रास्ता बंद हो गया। जब प्रार्थी ने मना किया तो वह प्रार्थी के साथ मारपीट करने पर आमादा हो गया यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह परिशिष्ट अ मे दर्शाये रास्ते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड मे करवायें एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किये गए खसरा नम्बर 356, 355 पर किये गए अतिक्रमण को हटवाये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सीताराम नागर द्वारा वकालातनामा पेश कर ईकबाली जवाब पेश किया गया। तहसीलदार नैनवॉं की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

बहस सूनी गयी। प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 687/1823 ग्राम सीसोला मे स्थित है जिस पर पहुंचने के लिए प्रार्थी सरकारी गै0मु0 रास्ता की भूमि खसरा नम्बर 356, 355 एवं अप्रार्थी संख्या 2 के खाते की भूमि खसरा नम्बर 588/356 की मेड के दक्षिणी ओर की ग्राम बालापुरा की मेड पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर होते हुए अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 687/1823 पर पहुंचता है जो 20 फीट चौडा बना हुआ है जिसे परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है, को बहाल करवाकर राजस्व रिकॉर्ड मे उक्त रास्ते का अंकन किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र, संलग्न दस्तावेजों व तहसीलदार नैनवॉं की रिपोर्ट का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 687/1823 के लगवा ही खसरा नम्बर 687 सिवायचक से खसरा नम्बर 687/1892 खातेदारी भूमि मे होकर ग्राम बालापुरा से दुगारी की ओर प्रचलित रास्ता बना हुआ है जो मौके पर चालू है अतः प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 687/1823 के लगवा प्रचलित रास्ता चालू होने से अन्य रास्ता दिया जाना उचित नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉं